भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-115
सोमवार, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक)

रोजगार कार्यालयों का आधुनिकीकरण

115. श्री कृपाल बालाजी तुमानेः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में कार्यरत रोजगार कार्यालयों की कुल संख्या कितनी है और रोजगार कार्यालयों के उन्नयन और आधुनिकीकरण की वर्तमान स्थिति का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और मौजूदा वर्ष के दौरान आवंटित, जारी की गई और खर्च की गई निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस संबंध में लक्ष्य के अनुसार महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों में आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र सहित देश में कार्य कर रहे रोजगार कार्यालयों की संख्या 997 हैं। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-। में दिया गया है।

(ख) एवं (ग): मंत्रालय रोजगार मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों संबंधी सूचना इत्यादि जैसी विभिन्न रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय रोजगार सेवा के रूपान्तरण के लिए राष्ट्रीय आजीविका सेवा (एनसीएस) परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। ये सेवाएं राष्ट्रीय आजीविका सेवा पोर्टल (www.ncs.gov.in) पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

एनसीएस परियोजना में रोजगार सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्यों तथा अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से आदर्श करियर केंद्रों (एमसीसी) की स्थापना की परिकल्पना भी की गई है। मंत्रालय ने आदर्श करियर केंद्रों की स्थापना हेतु 164 रोजगार कार्यालयों को अनुमोदित किया है। केंद्रीय सरकार प्रस्तावों तथा योजना के दिशा-निर्देशों के आधार पर, एमसीसी की स्थापना हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अनुमोदित, जारी की गई एवं उपयोग की गई निधियों के महाराष्ट्र सहित राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध-।। में दिए गए हैं। इन आदर्श करियर केंद्रों को राज्यों द्वारा उनके स्वंय के संसाधनों से स्थापित किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, एनसीएस परियोजना में रोजगार कार्यालयों को एनसीएस के साथ आपस में जोड़ने का एक घटक है तथा यह रोजगार कार्यालयों में अवसंरचनाओं के उन्नयन हेतु राज्यों को सहायता प्रदान करती है। सरकार राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों तथा योजना के दिशा-निर्देशों के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अनुबंध-।।। में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 24 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को निधियां जारी की गई हैं।

<u>अनुबंध-I</u>

लोक सभा के दिनांक 18-11-2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 115 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

देश में कार्य कर रहे रोजगार कार्यालयों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रोजगार कार्यालयों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	**17**
2	अरुणाचल प्रदेश	**12**
3	असम	**52**
4	बिहार	**47**
5	छत्तीसगढ़	**26**
6	दिल्ली	**14**
7	गोवा	**1**
8	गुजरात	**48**
9	हरियाणा	**59**
10	हिमाचल प्रदेश	**15**
11	जम्मू एवं कश्मीर	**17**
12	झारखंड	**42**
13	कर्नाटक	**40**
14	केरल	**89**
15	मध्य प्रदेश	**49**
16	महाराष्ट्र	**47**
17	मणिपुर	**11**
18	मेघालय	**12**
19	मिजोरम	**3**
20	नागालैंड	**8**
21	ओडिशा	**40**
22	पंजाब	**47**
23	राजस्थान	**38**
24	सिक्किम*	**-**
25	तमिलनाडु	**35**
26	तेलंगाना	**14**
27	त्रिपुरा	**5**
28	उत्तराखंड	**24**
29	उत्तर प्रदेश	**99**
30	पश्चिम बंगाल	**77**
31	अंडमान व निकोबार	**1**
32	चंडीगढ़	**2**
33	दादर एवं नगर हवेली	**1**
34	दमन एवं दीव	**2**
35	लक्षद्वीप	**1**
36	पुडुचेरी	**1**
	सकल योग	**997**

टिप्पणी: *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

अनुबंध –II

लोक सभा के दिनांक 18-11-2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 115 के भाग (ख) एवं (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आदर्श करियर केंद्रों की स्थापना हेतु अनुमोदित, जारी की गई एवं उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि (रु. लाख में)		
		अनुमोदित	जारी	उपयोग की गई
1	अरुणाचल प्रदेश	**35.3**	**21.18**	**0.00**
2	असम	**192.48**	**147.25**	**115.07**
3	अंडमान और निकोबार	**44.87**	**26.92**	**15.88**
4	आंध्र प्रदेश	**242.3**	**161.83**	**33.40**
5	बिहार	**104.17**	**76.79**	**50.88**
6	छत्तीसगढ़	**135.16**	**96.59**	**60.08**
7	दिल्ली	**40.79**	**24.47**	**15.00**
8	गोवा	**13.76**	**8.25**	**8.25**
9	गुजरात	**216.02**	**114.91**	**92.19**
10	हरियाणा	**41.85**	**25.11**	**24.59**
11	हिमाचल प्रदेश	**74.69**	**35.06**	**13.25**
12	जम्मू और कश्मीर	**210.75**	**131.7**	**18.95**
13	झारखंड	**46.86**	**37.48**	**32.54**
14	कर्नाटक	**160.66**	**98.02**	**66.14**
15	केरल	**87.54**	**52.53**	**22.97**
16	लक्षद्वीप	**17.76**	**10.65**	**5.06**
17	महाराष्ट्र	**167.25**	**81.56**	**21.55**
18	मेघालय	**86.52**	**56.09**	**28.15**
19	मध्य प्रदेश	**389.69**	**285.06**	**262.52**
20	नगालैंड	**37.36**	**22.42**	**22.42**
21	ओडिशा	**225.42**	**153.67**	**91.75**
22	पुड्डुचेरी	**39.2**	**31.36**	**23.52**
23	पंजाब	**94.76**	**49.14**	**0.00**
24	राजस्थान	**386.34**	**231.82**	**4.86**
25	तेलंगाना	**209.58**	**131.78**	**41.89**
26	त्रिपुरा	**58.14**	**35.82**	**35.50**
27	तमिलनाडु	**363.99**	**231.8**	**40.19**
28	उत्तर प्रदेश	**156.24**	**92.91**	**77.07**
29	उत्तराखंड	**104.32**	**52.86**	**39.64**
30	पश्चिम बंगाल	**367.18**	**227.02**	**36.10**
	कुल योग	**4350.95**	**2752.05**	**1299.41**

अनुबंध -III

लोक सभा के दिनांक 18-11-2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 115 के भाग (ख) एवं (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

रोजगार कार्यालयों में अवसंचरना बढ़ाने तथा रोजगार मेलों को आयोजित करने हेतु जारी की गई धनराशि का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य संघ/राज्य क्षेत्र	रोजगार कार्यालयों की संख्या	जारी की गई धनराशि (रु. लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	**16**	**152**
2	असम	**51**	**464**
3	दमन और दीव	**2**	**7.04**
4	गुजरात#	**48**	**406**
5	जम्मू और कश्मीर	**22**	**200**
6	झारखंड	**43**	**274**
7	कर्नाटक	**34**	**336**
8	मध्य प्रदेश	**54**	**602**
9	नागालैंड	**8**	**95**
10	ओडिशा	**56**	**291**
11	पंजाब	**46**	**84**
12	राजस्थान	**35**	**272**
13	तेलंगाना	**21**	**222**
14	त्रिपुरा	**6**	**39**
15	उत्तराखंड	**19**	**112**
16	पश्चिम बंगाल	**21**	**140**
17	उत्तर प्रदेश	**75**	**629.37**
18	तमिलनाडु	**37**	**560**
19	मिजोरम	**4**	**29.92**
20	पुडुचेरी	**5**	**16.21**
21	बिहार	**48**	**645**
22	छत्तीसगढ़	**28**	**416**
23	हिमाचल प्रदेश	**33**	**80.87**
24	हरियाणा	**54**	**267.87**
25	महाराष्ट्र*	**-**	**-**
	योग	**766**	**6341.28**

टिप्पणी: * महाराष्ट्र राज्य से आपस में जोड़ने की योजना के तहत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यह प्रक्रियाधीन है।